01/11/21 व्यवहारी प्रश्नगत गाँव के बीच अधिग्रहण विभिन्न - अलोक की खेती में विभाजन हुई। वादी स्वेच्छा होकर किन्तु वादी द्वारा मजरे आम में हस्तांतरण करने से मना किया गया। तहसीलदार शामली के आदेश 1A/21 ए0 / 27/10/21 से प्रारम्भिक डिक्री में मार्ग दर्शन चाहते हुए निर्देश किया गया कि न्यायालय आदेश के वादी एवं प्रतिवादीगण 1/2-1/2 हिस्सा अनुसार विभाजन हेतु निर्देशित किया गया किन्तु वर्तमान के हिसाब से निर्णय होने न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जा सकती है। जो 2000.00 रु है। व्यवहारी का अवलोकन किया। तहसीलदार शामली का प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें वादी को वर्तमान रेकार्ड के बारे में अवगत कराया गया, किन्तु किसी प्रकार से कोई पृथकता मजरे आम में नहीं किया गया, बल्कि रेकार्ड के अनुसार समस्त पक्षकारों को वादी एवं संबंधित वाद पत्र हेतु निर्देशित किया गया। वादी द्वारा 53 RTA/355 की तिथि में वादी का वाद नये वाद पत्र का अधीन किया जाता है। व्यवहारी की प्रश्न करते हैं [illegible] अवगत मान्य निर्णय [illegible] जाये। निर्णय से कार्यवाही अभिलेखों में जाये। निर्णय से न्यायालय के सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.09 19:33:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner